11

सं. एस-18020/91/2016-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 09.08.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी, ग्रामीण स्वच्छता,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय:- एसबीएम (जी) के अंतर्गत निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों पर दिव्यांजनों की पहुँच के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी सामुदायिक/वैयक्तिक शौचालयों तक दिव्यांगजनों की पहुँच पर फोकस किया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त निर्णय के मद्देनजर, अनुरोध किया जाता है कि दिव्यांगजनों की पहुँच का प्रावधान एसबीएम (जी) के अंतर्गत निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों के लिए किया जाना चाहिए। दिव्यांगजनों की शौचालयों तक पहुँच का तकनीकी विकल्प इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'टेक्नीकल ऑप्शन्स फॉर ऑनसाइट सैनिटेशन' पर हैंडबुक और 'एक्सेसेबिलिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी' पर हैंडबुक में उपलब्ध हैं। ये हैंडबुक नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:-

(i) http://www.mdws.gov.in/handbook-technical-options-site-sanitation
(ii) http://mdws.gov.in/handbook-accessible-household-sanitation-persons-disability-pwds

भवदीय,

ह./-
(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि: 1) एसबीएम (जी) राज्य समन्वयक, सभी राज्य
2) वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) एमडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर डालने हेतु

प्रति सूचनार्थ प्रेषित: प्रधान निजी सचिव, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, 5वां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।